बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 21/6/2017

संख्या–1/श्रम वि०स्था० (1) 10–44/16 श्र०सं०.....26...... /श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन श्रमायुक्त के कार्यालय के अन्तर्गत गैर संवर्गीय पद (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी) पर कार्यरत निम्नांकित 2 पदाधिकारियों को बिहार श्रम सेवा (सामान्य) के मूल कोटि के पद, श्रम अधीक्षक, वेतनमान लेबल 9, के पद पर अधिसूचना निर्गत की तिथि से स्थानापन्न प्रोन्नति दी जाती है :–

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वरीयता क्रमांक	वर्त्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1	**श्री उमाचरण,** श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	140	श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, शाहपुर, भोजपुर
2	**श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह,** श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी	141	श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सौर बाजार, सहरसा

2. पदस्थापन के पश्चात् पदभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।

3. मुहरबंद लिफाफा में रखे गये प्रोन्नति विषयक अनुशंसा से प्राप्त रिक्ति के विरूद्ध उक्त प्रोन्नति इस शर्त्त के साथ दी जा रही है कि भविष्य में यदि जिन पदाधिकारियों के लिए पद सुरक्षित रखा गया है, उन्हें प्रोन्नति दी जाती है, तो वैसी स्थिति में प्रावधानानुसार इन्हें पदावनत (रिवर्ट) किया जा सकेगा।

4. उक्त 2 पदाधिकारियों को दी गयी औपबन्धिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी) सं० 29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कामेश्वर प्रसाद) 21/6/17
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–1/श्रम वि०स्था० (1) 10–44/12 श्र०सं०.....26...... / पटना–15, दिनांक– 21/6/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/ माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 583, दिनांक 15.6.17 के आलोक में/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/ अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/6/17
सरकार के उप सचिव